

15.7.25

15.07.2025:- पत्रवाली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को वास्ते तलबी लगातार अवसर दिये गये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र तलबी अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



हनुमान